

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)


क्रमांक/कार्मिक/2024/103

रीवा, दिनांक 13.02.2024

## आदेश


मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 1-6/2017/38-3 दिनांक 14.06.2023 के परिपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम-2023 की कंडिका 6(i) एवं 6(iii) के प्रावधान अनुसार लोकपाल की नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से प्रो० संत प्रसाद गौतम, पूर्व कुलपति एवं आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0) को तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए लोकपाल नियुक्त किया जाता है। शासन के नियमानुसार मानदेय की पात्रता होगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रो० संत प्रसाद गौतम, पूर्व कुलपति एवं आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)
3. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
5. सगस्त विभागाध्यक्ष, ईकाइयिक एवं प्रशासकीय विभाग, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
6. वित्त नियंत्रक, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
7. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
9. रांबंधित नस्ती

  
सहायक कुलसचिव (कार्मिक)

